राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–371/2016.. जिला ....अलवर..

उनवान : मै0 गुजरात महाराष्ट्र फ्रेट कैरियर्स, हेमकुंज, गली नं0 5–6, एम.आई. नगर, भईंदर, ईस्ट, थाणे, मुम्बई

बनाम

(1) अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर

(2) सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, वार्ड–प्रथम, अलवर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खण्डपीठ श्री मदन लाल, सदस्य श्री मनोहर पुरी, सदस्य	
16/02/2016	अपीलार्थी द्वारा यह अपील स्थगन प्रार्थना–पत्र सहित अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के स्थगन प्रार्थना–पत्र संख्या एस–226/AA-I/NRD/15-16 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के अन्तर्गत पारित किये गये आदेश दिनांक 10.02.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 08.01.2016 को वाहन संख्या एच.आर.55/एम–7027 को बहरोड़ में चैक किये जाने पर वाहन में परचून माल लदा पाया गया। वाहन चालक द्वारा माल से सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये, जिनके अनुसार माल का परिवहन राज्य के बाहर से राज्य के बाहर के लिये किया जा रहा था, किन्तु माल के साथ संलग्न पर्ची में 'अजमेर' अंकित पाये जाने के आधार पर सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, वृत–प्रतिकरापवंचन, अलवर (जिसे आगे **'सक्षम अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा राज्य का परिवहन मिथ्या दस्तावेजों के द्वारा अजमेर के लिये किया जाना अवधारित करते हुए कर रूपये 3,15,215/– एवं धारा 76(6) के तहत शास्ति रूपये 11,38,183/– कुल रूपये 14,53,398/– का आरोपण आदेश दिनांक 29.01.2016 से किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेश से सृजित मांग की वसूली के स्थगन हेतु अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 38(4), अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 10.02.2016 से अस्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रकरण में अवशेष बकाया मांग राशि रूपये 14,21,876/– की वसूली को स्थगित किये जाने का निवेदन किया है। अपीलार्थी के अपील स्थगन प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी श्री विक्रम गोगरा ने कथन किया कि माल का परिवहन राज्य के बाहर से राज्य के बाहर के लिये किया जा रहा था, जिसमें राज्य के कर का किसी प्रकार का अपवंचन नहीं किया जा रहा था। दागीने पर अजमेर अंकित पाया गया, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्क के समर्थन में इन्टरनेट से जारी प्रति (http://www.onefivenine.com/India/villages/Rajkot/Jasdan/Ajmer) प्रस्तुत की, जिसके अनुसार 'अजमेर' नामक ग्राम राजकोट (गुजरात) में भी अवस्थित है। विद्वान अभिभाषक ने माननीय उच्चतम न्यायालय का न्यायिक	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–371/2016.. जिला ....अलवर...

उनवान : मै0 गुजरात महाराष्ट्र फ्रेट कैरियर्स, हेमकुंज, गली नं0 5–6, एम.आई. नगर, भईंदर, ईस्ट, थाणे, मुम्बई

बनाम

(1) अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर

(2) सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, वार्ड–प्रथम, अलवर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 2 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/02/2016	दृष्टान्त (2001) 10 सेल्स टैक्स टूडे 218 (एस.सी.) स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य बनाम मैसर्स सोढ़ी ट्रांसपोर्ट कं0 जयपुर व अन्य; माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 4019/94 व 4022/94 मैसर्स चावला हाईवे कैरियर्स बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य; एस.बी. सेल्स टैक्स रिवीजन पिटिशन नं0 215/2010 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उड़नदस्ता, झालावाड़ बनाम मैसर्स देहली इन्दौर ट्रांसपोर्ट कैरियर, दिल्ली में पारित निर्णय दिनांक 24.09.2015; माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 776 व 777/2010/अलवर वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, अलवर बनाम मां अम्बे कॉरगो मूवर्स, अहमदाबाद में पारित निर्णय दिनांक 21.11.2011; अपील संख्या 179 व 180/2010/अलवर सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उड़नदस्ता–तृतीय, राजस्थान, जयपुर बनाम मैसर्स सवाईसिंह पुत्र श्री गिरधारी सिंह, बारांगांव जिला अलवर में पारित निर्णय दिनांक 30.04.2012 के न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत करते हुए, प्रकरण में सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में बताते हुए, बकाया मांग राशि की वसूली की कार्यवाही को स्थगित किये जाने का निवेदन किया। प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री आर. के. अजमेरा ने कर निर्धारण आदेश व अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि वक्त जांच माल के दागिने पर 'अजमेर' पाया गया, जबकि दस्तावेज राज्य के बाहर से राज्य के बाहर के बने हुए पाये गये। माल के प्रेषक व प्रेषिति व्यवहारियों के सत्यापन बाबत नोटिस जारी किये जाने पर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा असमर्थता जाहिर की गई। प्रेषक व प्रेषिति व्यवहारियों के सत्यापन का दायित्व अपीलार्थी व्यवहारी पर है, जिसमें वह पूर्णतः असफल रहा। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये कारण बताओ नोटिस की पालना में अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। इस प्रकार प्रकरण में अपीलार्थी व्यवहारी का असहयोगात्मक रवैया रहा। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा मिथ्या दस्तावेजों के द्वारा माल का परिवहन किया जा रहा था। ऐसी स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार कर व धारा 76(6) के तहत शास्ति का आरोपण किया गया है। अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी का स्थगन प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किये जाने में भी कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी व्यवहारी की अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किये जाने पर बल दिया। लगातार................3	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–371 / 2016.. जिला ....अलवर..

उनवान : मै0 गुजरात महाराष्ट्र फ्रेट कैरियर्स, हेमकुंज, गली नं0 5–6, एम.आई. नगर, भईंदर, ईस्ट, थाणे, मुम्बई

बनाम

(1) अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर

(2) सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, वार्ड–प्रथम, अलवर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 3 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16 / 02 / 2016	उभय पक्ष की बहस पर मनन करने, अपीलीय आदेश व कर निर्धारण आदेश का अवलोकन करने तथा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन करने के पश्चात, प्रकरणों में कर के बिन्दु पर प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन (Balance of convenience) अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है। केवल धारा 76(6) के तहत आरोपित शास्ति राशि की सीमा तक **प्रकरणों के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना,** अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। अपीलार्थी व्यवहारी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रकरण में बकाया मांग राशि रूपये 14,21,876 / – में से कर राशि रूपये 3,15,215 / – जमा कराने का साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे तथा शेष राशि बाबत सक्षम अधिकारी के संतोष के अनुरूप समुचित जमानत (Adequate Security) प्रस्तुत करेंगे। अपीलीय अधिकारी को भी निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश प्राप्ति के 3 माह में अपील का गुणावगुण के आधार पर निष्पादन करें। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। 16.02.2016 16.2.2016 सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर	